रजिस्ट्री सं० डी० एल०–33004 / 99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप–खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1003] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2014 / वैशाख 16, 1936
No. 1003] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2014/VAISAKHA 16, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मई, 2014

का.आ. 1211(अ).–– भारत सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 394(अ), दिनांक 10.02.2014 द्वारा, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिश्ट भूमि में, मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य प्रदेश राज्य में जिला शहडोल के अन्तर्गत सोहागपुर(पूर्व) और सोहागपुर (पश्चिम) में स्थित सी.बी.एम. ब्लाकों से देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ताओं तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड द्वारा शहडोल (मध्य प्रदेश)–जयसिंह नगर– बेउहारी– गुरह़–फूलपुर (उत्तर प्रदेश) गैस पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थीं;

और, उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 22.03.2014 को अथवा उससे पूर्व उपलब्ध करा दी गई थीं;

और, पाइपलाइन बिछाने के सम्बन्ध में, जनता की ओर से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और, भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चिय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त, मैसर्स रिलायंस गैस पाइपलाइन्स लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मंडल/तहसील/तालुक : हण्डिया	जिला : इलाहाबाद	राज्य : उत्तर प्रदेश		
		आर.ओ.यू. अर्जित करने के लिए क्षेत्रफल		
गॉव का नाम	सर्वे सं./सब–डिवीजन सं.	हेक्टेयर	एयर	सि.एयर
1	2	3	4	5
1) बरेठी	755	00	05	10

[फा.सं. एल.-14014/3/2014-जी.पी.–II]

श्री प्रकाश अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st May, 2014

S.O. 1211(E).—Whereas by notification of Government of India in Ministry of Petroleum and Natural Gas, number S.O. 394(E) dated 10-02-2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), Government of India declared its intention to acquire the Right of User in land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying Shahdol (Madhya Pradesh) -Jaysing Nagar-Beohari-Gurh-Phulpur (Uttar Pradesh) gas pipeline for transportation of natural gas from the Sohagpur (East) and Sohagpur (West) CBM Blocks under Shahdol district in Madhya Pradesh State of M/s Reliance Industries Limited by M/s Reliance Gas Pipelines Limited to the consumers in various parts of the country;

And whereas, the copies of the said Gazette notification were made available to the public on or before 22/03/2014;

And whereas, no objections were received from the public to the laying of the pipeline.

And whereas, the Competent Authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted report to the Government of India;

And whereas, Government of India, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, have decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land, specified in the Schedule, appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest on the date of publication of the declaration, in M/s Reliance Gas Pipelines Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Mandal/Tehsil/ Taluk: Handia	**District : Allahabad**	**State: Uttar Pradesh**		
Village	**Survey No./Sub-Division No.**	**Area to be acquired for ROU**		
		Hec	**Are**	**C-Are**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1) Barethi	755	00	05	10

[F.No.L-14014/3/2014-GP-II],
S.P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.